भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2830
जिसका उत्तर 6 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
15 श्रावण, 1947 (शक)

डेटा सिटीज़ और एआई नवाचार के लिए निवेश में बाधा डाल रहे कठोर विनियम

2830. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के कठोर विनियम डेटा सिटीज़ और एआई नवाचार के लिए निवेश में बाधा वन रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि वर्तमान आयकर अधिनियम विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को स्थायी प्रतिष्ठानों के रूप में वर्गीकृत करके, जिससे उनका कर भार बढ़ जाता है, भारत में निवेश करने से हतोत्साहित करता है;

(ग) सरकार सिंगापुर जैसे देशों को किस तरह देखती है जो अधिक पारदर्शी और अनुकूल व्यवस्था प्रदान करते हैं।

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को विदेशी निवेशकों के लिए मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 90 (1) (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत सरकार के पास एक सुपरिभाषित एवं सुव्यवस्थित विनियामक ढांचा है, जिससे डेटा सेंटर और एआई में निवेश आकर्षित करने के लिए एक पारदर्शी एवं निवेशक-अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है ।

क्षेत्रों की प्रगति निम्नानुसार देखी जा सकती है:

- भारत की डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2020 में लगभग 375 मेगावाट (एमडब्ल्यु) से बढ़कर वर्तमान में लगभग 1030 मेगावाट (एमडब्ल्यु) हो गई है। (उद्योग रिपोर्टों के अनुसार)
- भारत एआई मिशन (मार्च 2024) एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करता है।

    - अब तक, 14 पैनालबद्ध एआई सेवा प्रदाताओं से 34,381 जीपीयू ऑनबोर्ड हो चुके हैं।
    - इसमें हाइपरस्केलर्स के भारतीय और विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाता (सीएसपी) और प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) दोनों शामिल हैं।

- 6 प्रमुख विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) सहित 23 क्लाउड सेवा प्रदाता (सीएसपी) एमईआईटीवाई के पैनल में शामिल हैं।
- भारतीय और विदेशी दोनों क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) ने देश में अपना व्यवसाय स्थापित किया है।

(ख): किसी अनिवासी की व्यावसायिक गतिविधि पर भारत में कर देय होगा बशर्ते कि वह निम्नलिखित को पूरा करती है:

- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत "व्यावसायिक संबंध" सीमा, और
- दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) के तहत "स्थायी प्रतिष्ठान" सीमा, यदि लागू हो

यह सिद्धांत सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है, तथा विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों (जैसे क्लाउड सेवाओं) को सीमित करना उचित नहीं है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्रोत-आधारित कराधान पर भारत के सतत रुख के विपरीत है।

(ग): सरकार की नीतियाँ दुनिया भर में श्रेष्ठ पद्धतियों की जाँच के बाद तैयार की जाती हैं। आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 में नोट किया गया कि भारत प्रमुख लाभ प्रदान करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कम निर्माण लागत,
- सुस्थापित डिजिटल सेवा पारिस्थितिकी तंत्र, और
- अधिक किफायती अचल संपत्ति

ये सभी डिजिटल और डेटा हब के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करते हैं।

(**घ)** और **(ङ)**: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90(1)(1) में संशोधन करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****